

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,  
05, हार्डिंग रोड, पटना-800001  
(वेबसाइट- <https://bpssc.bihar.gov.in>)

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में “आशु सहायक अवर निरीक्षक” (Steno Assistant Sub-Inspector) के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-17.01.2025

विज्ञापन संख्या-01/2024

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में “आशु सहायक अवर निरीक्षक” (Steno Assistant Sub-Inspector) के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्नवत है:

| क्र०सं० | पद  | वेतनमान                                | रिक्तियों की संख्या |
|---------|---|--|---------------------|
| 1.      | आशु सहायक अवर निरीक्षक<br>(Steno Assistant Sub-Inspector) | पे-लेवल-5<br>(रु०-29,200 से<br>92,300) | 305 (तीन सौ पाँच)   |

इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या-01/2024 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक-17.12.2024 से प्रारंभ होगी।

- उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान:- (i) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का पत्र संख्या-8/ब.2-10-21/2019 गृ०आ० 13747 दिनांक-25.11.2024 एवं (ii) बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-23/नियुक्त-01-225/2024, सा०प्र० 16589 दिनांक-15.10.2024 द्वारा प्राप्त अध्याचना (iii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) अधिसूचना संख्या-4/ब.1-10-05/2011 गृ०आ० 10900 दिनांक-18.12.2019, अधिसूचना

संख्या-4/ब.1-10-05/2011 गृ0आ0 6838 दिनांक-23.08.2017 एवं अधिसूचना संख्या-4/ब1-10-05/2011 1970, दिनांक-08.03.2018 (आशु संवर्ग नियमावली) (iv) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008-6620/गृ0आ0, दिनांक-14 अगस्त, 2019 (v) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20 जनवरी, 2016 एवं पत्र संख्या 2342, दिनांक-15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-1520, दिनांक-23 फरवरी, 2019 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-12123 दिनांक-23.06.2023 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-13185, दिनांक-03 सितम्बर, 2015 एवं पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-10/2015-सा0प्र0-2526, दिनांक-18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (ix) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या-2374 दिनांक-16.07.2007 (सरकारी कर्मियों को आयु सीमा में छुट से संबंधित) (x) बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या-5374 दिनांक-02.04.2013 (भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित) (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017, संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021, बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ज्ञापांक-8/ब.2-10-02/2023 गृ0आ0 10289 दिनांक-24.08.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्र संख्या-11/आ0-न्याय-30/2021 सा0प्र0 10668, दिनांक-29.06.2022 (दिव्यांगजन) तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

#### 4. आवेदन के लिए पात्रता:-

- 4.1 भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं।
- 4.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता:-दिनांक-01.08.2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक-01.08.2024 तक कम्प्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारक होना अनिवार्य होगा।

4.3 उम्र सीमा की गणना:- उम्र सीमा की गणना दिनांक-01/08/2024 के आधार पर की जायेगी।

4.4 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक- 01/08/2024 को “मैट्रिक अथवा समकक्ष” प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी:-

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष।
- (2) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष।
- (3) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष।
- (5) “बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।
- (6) असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट-ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (7) दिव्यांगता के आधार पर सभी कोटि की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट प्रदान की जायेगी।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया:- नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जाँच सम्मिलित होगी।

(अ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा:-

(i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे।

(ii) प्रथम प्रश्न-पत्र- प्रथम प्रश्न-पत्र 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिन्दी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी एवं सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जायेगा।

(iii) **द्वितीय प्रश्न-पत्र-** द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा।

**नोट:- (क)** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी।

**(ख)** बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी, जो श्रुतिलेखक के माध्यम से परीक्षा दे रहे हों अथवा श्रुतिलेखक के बिना परीक्षा दे रहे हों, दोनों ही स्थिति में इन्हें प्रति घंटा की दर से 20 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूरक समय दिया जा सकता है। यह अवधि अधिकतम 60 मिनट की होगी। यदि एक घंटे से कम अवधि की परीक्षा हो, तो अनुपातिक विधि से अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा यह अनुपातिक रूप से 5 मिनट के गुणक में हो सकता है।

(iv) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 06 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुतिलेखन आदि पात्रता की जाँच हेतु किया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा।

उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

(ब) **पात्रता की जाँच-** लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुतिलेखन, हिन्दी एवं अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जायेगी।

(i) **हिन्दी श्रुतिलेखन-** हिन्दी श्रुतिलेखन की जाँच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जायेगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(ii) **टंकण की जाँच-** अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी टंकण में पाँच प्रतिशत से अधिक और अंग्रेजी टंकण में दस प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिये अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया

जायेगा। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(iii) **कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच-** अभ्यर्थियों के MS-Office (Word, Excel, Power Point) तथा Internet के व्यावहारिक ज्ञान की जाँच की जायेगी। इस जाँच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

**नोट:-** पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों से दिव्यांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्तों से विमुक्ति दी जायेगी।

6. **मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा:-**

- (i) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए **अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।** लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरिय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म-तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे।
- (ii) उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (iii) अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग एवं सभी कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत होगा।
- (iv) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्यक्ष के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा।

7. **रिक्ति:-** बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का पत्र संख्या-8/ब.2-10-21/2019 गृ0आ0 13747 दिनांक-25.11.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार “**आशु सहायक**

अवर निरीक्षक” (Steno Assistant Sub-Inspector) की 305 (तीन सौ पाँच) रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | आरक्षण/कोटि                   | कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या | इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या |
|---------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 1.      | अनारक्षित (01)                | 121 (एक सौ इक्कीस)           | 42 (बयालीस)   |
|         | अनुसूचित जाति (02)            | 37 (सैंतीस)                  | 13 (तेरह)   |
|         | अनुसूचित जनजाति (03)          | 06 (छः )                     | 02 (दो)   |
|         | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)       | 59 (उनसठ)                    | 21 (इक्कीस)   |
|         | पिछड़ा वर्ग (05)              | 37 (सैंतीस)                  | 13 (तेरह)   |
|         | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06) | 14 (चौदह)                    | N/A   |
|         | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07) | 31 (इक्कतीस)                 | 11 (ग्यारह)   |
|         | कुल                           | 305 (तीन सौ पाँच)            | 102 (एक सौ दो)  |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 2. | स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित (2 प्रतिशत) कुल पदों की संख्या | 06 (छः) |
|----|--|---------|

|    |  |    |
|----|--|----|
| 3. | (क) गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के आदेश ज्ञापांक-10289, दिनांक-24.08.2023 के आलोक में 1288 पदों का 4% 51.5 अर्थात् 52<br>एवं<br>(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में 305 पदों का 4% अर्थात् 12<br>उक्त के आलोक में कंडिका (क) + (ख) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (04%)<br>कुल पदों की संख्या-64 (12+52) |    |
|    | (i) दृष्टि बाधित (VI)  | 16 |
|    | (ii) अस्थि विकलांग (OH)  | 16 |
|    | (iii) मूक बधिर (DD)  | 16 |
|    | (iv) मनोविकार दिव्यांगता/बहु दिव्यांगता  | 16 |

## 8. आरक्षण:-

- (i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
- (ii) महिलाओं के लिए प्रावधान:-  
बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा।  
परंतु, यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।  
परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।
- (iii) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए प्रावधान:- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13185, दिनांक 03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
- (iv) “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 की आय एवं परिसम्पतियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण-पत्र अनुमान्य होगा।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017, संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 एवं बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ज्ञापांक-8/ब.2-10-02/2023 गृ0आ0 10289 दिनांक-24.08.2023 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vi) आरक्षण का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु

सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

9. **कट ऑफ तिथि:-** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 01 अगस्त, 2024 निर्धारित की जाती है।

10. **नियुक्ति प्राधिकार:-**

बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 के अनुसार “आशु सहायक अवर निरीक्षक” पद हेतु “नियुक्ति प्राधिकार” पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे।

11. **चिकित्सकीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-**

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।

अधिसूचना संख्या 4/ब1-10-05/2011-1970 दिनांक-08.03.2018 की टिप्पणी-3 में प्रावधान किया गया है कि “सामान्य अभ्यर्थियों पर चिकित्सकीय परीक्षण के सम्बन्ध में ऊपर उल्लिखित लागू प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।”

12. लिखित परीक्षा एवं अन्य पात्रता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

13. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-** उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। दिनांक-17.12.2024 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट- <https://bpssc.bihar.gov.in> के Bihar Police Tab पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन करने/आवेदन-पत्र समर्पित करने के बाद आवेदन-पत्र के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

14. बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग

के महिला/पुरुष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 700/- (सात सौ) रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों तथा सभी वर्ग/कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 400/-(चार सौ) रुपये है।

15. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/रुपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड/रुपे डेबिट कार्ड (Credit/Rupay Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रान्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode मान्य नहीं होगा।

16. **ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-**

- (i) *ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।*
- (ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट <https://bpsc.bihar.gov.in> के Bihar Police Tab पर जाकर Advt.No. 01/2024 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- (iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।
- (iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

- (v) अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।
- (vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।
- (vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।
- (viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म-तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (x) *आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।*
- (xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट [state.bihar.gov.in](http://state.bihar.gov.in) पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

(xii) **ऑनलाइन आवेदन पत्र:-**

ऑनलाइन आवेदन-पत्र दो भागों में भरा जायेगा-

- (क) **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग** में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म-तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/e-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

**पंजीकरण रद्दीकरण** - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को 'Edit' (सुधार) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

- (ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग** में वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही) से अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

- (ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई0डी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/e-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से समर्पित (Submit) किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही मानते हुए

आयोग आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

- (घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया:- यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन-पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

17. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छयाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

18. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि-17.01.2025 निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. उम्मीदवारी रद्दीकरण- आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैंक के रूप में प्राप्त कर लेना।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।

- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
  - (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
  - (vii) आवेदन में जन्म-तिथि गलत अंकित करना।
  - (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
  - (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे- विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
  - (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत एवं वैध प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
  - (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/समर्पित न करना, जैसे-
  - (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
  - (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
  - (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
  - (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा अन्य पात्रता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
  - (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना।
  - (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।
- 20.** आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/e-mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी सक्रिय/जारी रखें।
- 21.** चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, अन्य पात्रता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा

आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी, चिकित्सकीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,  
बिहार, पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा-01-05/2024-1593

दिनांक-14.12.2024

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,  
05, हार्डिंग रोड, पटना-800001

- प्रतिलिपि:-1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।  
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,  
बिहार, पटना।